झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1103 वर्ष 2017

मो0 समशान अली .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. जिला परिषद्, देवघर

2. जिला अभियंता, जिला परिषद्, देवघर

3. सहायक अभियंता, जिला परिषद्, देवघर

4. मैसर्स एम0एस0 एजेंसी, एक प्रोपराइटरशिप फर्म, जिला–बिलासपुर, देवघर

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अशीम कुमार सहानी, अधिवक्ता

उत्तरदाता–जिला परिषद् के लिएः– श्री राधा कृष्ण गुप्ता, अधिवक्ता

2/27.2.2017 याचिकाकर्ता और प्रतिवादी–जिला परिषद् के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता एन.आई.टी संख्या 08/2016–17 (अनुलग्नक–1) की मद संख्या 2 के अेनुसार ग्राम–करजो, पंचायत–लहरजोरी, मार्गो मुण्डा ब्लॉक में पी0सी0सी0 सड़क के निर्माण के निष्पादन के लिए प्रतिवादी संख्या–4 के पक्ष में ज्ञापन संख्या 241 दिनांकित 28 जनवरी, 2017 (अनुलग्नक–7) द्वारा जारी कार्य आदेश से व्यथित है। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों के तुलनात्मक विश्लेषण चार्ट के अनुसार, न तो याचिकाकर्ता

और न ही प्रतिवादी संख्या 4, जो क्रम संख्या 4 और 2 में रखे गए एन0आई0टी0 के नियम और शर्तों के खंड ll के संदर्भ में वरीयता का लाभ उठाने के लिए देवघर जिले के मरगोमुंडा ब्लॉक, पुलिस स्टेशन के स्थानीय निवासी होने का दावा कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह ब्लॉक अचीवमेंट मारगोमुंडा के निवासी हैं। हालांकि, यह तथ्य तुलनात्मक चार्ट के अवलोकन से नकार दिया गया है, जो अनुलग्नक–3 श्रृंखला का हिस्सा है, जिस पर याचिकाकर्ता का पता पंजीकरण प्रमाण पत्र में भी कथित रूप से ग्राम–महुआटांड, डाकघर–करंजो, थाना–करंजो, जिला–देवघर दर्ज है। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया दूसरा आधार एन0आई0टी0 के नोट नंबर 2 के संबंध में है, जिसमें पिछले तीन वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति के काम के संतोषजनक निष्पादन के बारे में बताई गई है। तुलनात्मक चार्ट से पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं0 4 द्वारा निष्पादित तीन कार्यो को दर्शाया गया है, एक ग्रामीण विकास विशेष प्रभाग, देवघर के अधीन वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ब्लॉक मधुपुर में आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के संबंध में है, दूसरा मधुपुर ब्लॉक के वार्ड संख्या 22 पत्थरचापती में ग्रामीण विकास, विशेष प्रभाग, देवघर के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पी0सी0सी0 सड़क के निष्पादन से संबंधित एवं तीसरा कार्य 41,76,765.00 रूपये मूल्य के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग से संबंधित है। याचिकाकर्ता के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2014 में जिला परिषद्, देवघर के तहत 15,79,146. 00/– रूपये के मूल्य पर प्रखंड–मार्गोमुंडा में निर्माण के उसी टिप्पणी कॉलम में दिखाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पी0सी0सी0 कार्य के निष्पादन का कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो प्रतिवादी नं0 4 द्वारा किया गया कार्य की प्रकृति के समान है जैसास कि तुलनात्मक

विश्लेषण चार्ट में दर्ज है। उन्होनें उपर्युक्त वक्तव्य के समर्थन में आर0टी0आई0 के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज जो अनुलग्नक–4 श्रृंखला पर है, का उल्लेख किया।

हालांकि, आर0टी0आई0 के तहत प्रदान की गई इस तरह की जानकारी का कोई अग्रेषित पत्र कथित दस्तावेज के साथ रिट याचिका में संलग्न नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी 4 के सफल पाए जाने के बाद उसको काम आवंटित कर दिया गया है और रिट याचिका में संलग्न किए गए 28 जनवरी, 2017 के पत्र (अनुलग्नक–7) के अनुसार उनके साथ समझौता भी किया गया है।

स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी नं0 4 को कार्य का आवंटन देने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी त्रुटि या एन0आई0टी0 की शर्तों के अनुसार पात्रता की कमी से प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रत्यर्थी प्राधिकारी कार्य की इसी प्रकार की प्रकृति के निष्पादन की आवश्यकता का पुनः सत्यापन करेंगे जैसा कि तुलनात्मक विश्लेषण चार्ट में एन0आई0टी0 के नोट नंबर 2 के तुलनात्मक विश्लेषण चार्ट में परिलक्षित होता है ताकि यदि कोई गलती हुई हो तो उससे बचा जा सके।

तद्नुसार, इस मामले में हस्तक्षेप न करते हुए रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)